भारत संघ व अन्य

बनाम

सुरिन्दर सिंह राठौड

(दीवानी अपील संख्या - 1960/2008)

13 मार्च, 2008

(डाॅक्टर अरिजीत पसायत और जे.एम. पांचाल, जेजे.)

सेवा नियमः

सेना के लिये पेंशन विनियम-नियम 173-विकलांगता पेंशन-सेना में सिंगल मैन, तीस प्रतिशन अक्षमता के आधार पर दो साल के लिये सेवा से मुक्त किया गया- विकलांगता पेंशन के लिये दावा- अभिनिर्धारितः हकदार नहीं-मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कर्मचारी जिस बीमारी से ग्रसित था वह सैन्य सेवा के कारण नही हुई और न ही सैन्य सेवा के कारण बढी। इस प्रकार सरकार को कर्मचारी को विकलांगता पेंशन देने का उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया- सशस्त्र चिकित्सा सेवा बल विनियम 1983-विनियम 423

प्रत्यर्थी को 1985 में सेना में सिंगल मैन के रूप में नियुक्त किया गया था, उसने मैकुलोपैथी (आर.टी.) आई नामक बीमारी का इलाज कराया लेकिन उस पर इलाज का कोई असर नही हुआ। रिलीज मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की कि प्रत्यर्थी को उपरोक्त बीमारी के कारण चिकित्सा श्रेणी व सीईई (स्थाई) जो ए वाई ई श्रेणी से न्यूनतम है, में सेवा से मुक्त कर दिया जाये। उसे तीस प्रतिशत विकलांगता के आधार पर दो साल के लिये सेवा से मुक्त कर दिया गया। अमान्य उपदान और मृत्यु सह

सेवानिवृति उपदान के आधार पर उसे एक निश्चित राशि दी गई थी। प्रत्यर्थी ने विकलांगता पेंशन का दावा किया। दावा रिलीज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जिस बीमारी से वह ग्रसित था वह ना तो सैन्य सेवा के कारण हुई थी और न ही बढी थी। प्रत्यर्थी ने अपील दायर की जो खारिज कर दी गई। तब प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर की जो कि अपीलार्थी सरकार को उसे विकलांगता पेंशन देने के आदेश के साथ स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा उक्त आदेश को पुष्ट किया गया इसलिये वर्तमान अपील पेश की।

अपील की अनुमति देते हुये न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित कियाः मेडिकल बोर्ड की राय स्पष्ट रूप से इस पर प्रभाव डालती थी कि अपीलार्थी को जो बीमारी हुई थी वह न तो सैन्य सेवा के कारण हुई थी और न ही इसके कारण बढी थी। एकल न्यायाधीश व उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित करना कि यह सैन्य सेवा के कारण हुई या इस कारण बढी, उचित नही था। प्रत्यर्थी विकलांगता पेंशन का हकदार नही है। हालांकि प्रकरण के तथ्यों और मामलें के भुगतान की परिस्थितियों में, यदि कोई हो, पूर्व में विकलांगता पेंशन के माध्यम से प्रत्यर्थी को दिये गये भुगतान की वसूली नही की जायेगी। (पैरा 9) (918-ए, बी, सी)

भारत संघ व अन्य बनाम बलजीत सिंह **1996 (11) एससीसी 315;** भारत संघ व अन्य बनाम धीरसिंह चीना, कर्नल (सेवानिवृत) **2003 (2) एससीसी 382;** भारत संघ व अन्य बनाम केशर सिंह **2007(5) एससीआर 408 - पर निर्भरता**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील संख्या - 1960/2008

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के दीवानी विशेष अपील (रिट) नंबर 540 ऑफ 2005 का अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 02-01-06 से

अपीलार्थी की ओर से जी.ई. वाहनवती, एस.जी. इन्द्रा साहनी और अनिल कटियार

प्रत्यर्थी की ओर से जी.पी. कैप्टन करण सिंह भाटी, एेश्वर्या भाटी, प्रबोध कुमार और अभिषेक गौतम

न्यायालय का निर्णय **डाॅक्टर अरिजीत पसायत, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई जिसमे अपीलकर्ताआेंं द्वारा दायर दीवानी विशेष अपील (रिट) को खारिज कर दिया गया।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है - प्रत्यर्थी को 05-01-85 को सेना में सिंगल मैन के रूप में नियुक्त किया गया था। अक्टूबर, 1991 में किसी समय उसे मैकुलोपैथी (आर.टी.) आई नामक बीमारी के इलाज के लिये सैन्य अस्पताल, जोधपुर में भर्ती कराया गया था। तत्पश्चात उसे इलाज के लिये पुणे के कमाण्ड अस्पताल में रैफर किया गया और बाद में राेजगार प्रतिबंधों के साथ सामान्य कर्तव्यों के लिये यूनिट में वापस भेज दिया गया। प्रत्यर्थी ने कम दृष्टि की शिकायत जारी रखी और उसे सैन्य अस्पताल, जोधपुर में पुनः भर्ती कराया गया। चूंकि उस पर इलाज का कोई असर नही हो रहा था, इसलिये उसे रिलीज मेडिकल बोर्ड के पास भेजा गया।

01.05.1993 को, उक्त बोर्ड ने उक्त जाॅच पूरी कर प्रत्यर्थी को उपरोक्त बीमारी के कारण चिकित्सा श्रेणी और सीईई (स्थाई) जो एवाईई की श्रेणी से न्यूनतम है, में सेवा

से मुक्त कर दिये जाने की सिफारिश की। प्रतिवादी की विकलांगता का मूल्यांकन दो वर्षों के लिये 30 प्रतिशत के रूप में किया गया और इसे सैन्य सेवा के कारण नहीं होना और न ही इस कारण बढना, माना गया। बोर्ड की कार्यवाही काे 17 मई, 1993 काे सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अनुमोदित किया गया। प्रतिवादी को सेना नियम, 1954 ("संक्षेप में नियम") के नियम 13 के संदर्भ में 31.07.1993 से सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उसे अमान्य उपदान और मृत्यु सह सेवानिवृति उपदान के रूप में क्रमशः 9350/- रूपये और 7425/- रूपये की राशि प्रदान की गई लेकिन विकलांगता पेंशन देने की प्रत्यर्थी की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जिस बीमारी से प्रतिवादी पीडित था, वह न तो सैन्य सेवा के कारण हुई थी ओर न ही बढी थी। यह जानकारी सेना के लिये पेंशन विनियमों (संक्षेप में 'पेंशन विनियम') के नियम 173 सपठित परिशिष्ठ II के नियम दो और सशस्त्र बल की चिकित्सा सेवा के विनियम 423 के प्रावधानों के अनुसार रिलीज मेडिकल बोर्ड की जानकारी पर आधारित थी।

प्रत्यर्थी द्वारा एक अपील दायर की गई जिसे रक्षा मंत्रालय को भेजा गया। प्रत्यर्थी को सूचित किये गये सीसीडीए (पेंशन) के मत को बरकरार रखते हुये अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसे रिट याचिका संख्या - 2597 ऑफ 1996 के रूप में क्रमांकित किया गया। 16 जनवरी, 2005 के आदेश द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता को इस आधार पर की इस विवाद को उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में एसबी दीवानी याचिका संख्या - 1083 ऑफ 2001 में पारित निर्णय में स्पष्ट रूप से कवर किया गया था, प्रत्यर्थी को विकलांगता पेंशन देने का निर्देश दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दीवानी विशेष अपील दायर करके चुनौती दी गई। आदेश दिनांक 02.01.2006 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। अपीलकर्ताआें द्वारा विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई।

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश व खण्ड पीठ द्वारा तथ्यात्मक परिदृश्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नही किया गया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण नही हुई थी और सेवा के कारण बढी भी नही थी।

दूसरी तरफ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालयों के आदेशों का समर्थन किया।

4. पेंशन विनियमों का संदर्भ दिया गया। ऐसे विनियमों का नियम 173 इस प्रकार है-

विकलांगता पेंशन अनुदान के लिये प्राथमिक शर्तेंः

''173. जब तक अन्यथा विशेष रूप से उपबंधित नहीं किया जाता है, विकलांगता पेंशन उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो सैन्य सेवा के कारण होने वाली या बढने वाली विकलांगता के कारण सेवा से अयोग्य हो गया हो और जिसका मूल्यांकन बीस प्रतिशत या उससे अधिक हो।

यह प्रश्न की क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढी है, परिशिष्ठ II में नियम के तहत निर्धारित किया जायेगा।

परिशिष्ठ II में सुसंगत भाग इस प्रकार हैः

''2. विकलांगता या मृत्यु को सैन्य सेवा के कारण स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते यह प्रमाणित हो

(ए) विकलांगता घाव, चोट या बीमारी के कारण हुई हैः

(i) सैन्य सेवा के कारण है; या

(ii) सैन्य सेवा से पूर्व अस्तित्व में थी या उसके दौरान उत्पन्न हुई थी या इससे बढी है और बनी हुई है।

(बी) मृत्यु निम्न कारणों से या शीघ्रता से हुई थी -

(i) घाव, चोट या बीमारी जो सैन्य सेवा के कारण हुई हो, या

(ii) सैन्य सेवा से पूर्व या उसके दौरान हुई कोई घाव, चोट या बीमारी सैन्य सेवा के दौरान बढी है।

नोटः नियम में सेवा से बर्खास्तगी/अमान्य होने के बाद मृत्यु के मामलें भी शामिल है।

3. दोषारोपण या कष्ट को स्वीकार करने के लिये विकलांगता या मृत्यु और सैन्य सेवा के बीच एक आकस्मिक संबंध होना चाहिए।

4. पात्रता के मुददे पर निर्णय लेने में प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य दोनो साक्ष्यों को ध्यान में रखा जायेगा और दावेदार को लाभ या उचित संदेह दिया जायेगा। फील्ड सर्विस मामलें में दावेदार को यह लाभ अधिक उदारतापूर्वक दिया जायेगा।''

5. विनियम 423 की भी प्रासंगिकता है व इसे उद्धरत करने की आवश्यकता है। यह इस प्रकार पढा जायेगाः

''423. सेवा के प्रति दायित्व

(ए) यह निर्धारित करने के उददेश्य से कि विकलांगता या मृत्यु का कारण सेवा है या नहीं, यह अतात्विक है कि विकलांगता या मृत्यु को उत्पन्न करने वाला कारण फील्ड सेवा/ सक्रिय सेवा घोषित क्षेत्र में हुआ है या सामान्य शांति स्थितियों के तहत हुआ है। हालांकि, यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या विकलांगता या मृत्यु का

सेवा शर्तों से आकस्मिक संबंध है। सभी साक्ष्य प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य दोनो को गणना में लिया जायेगा और संदेह का लाभ, यदि कोई हो, व्यक्ति को दिया जायेगा। इन निर्देशों के प्रयोजन के लिये, उचित संदेह के रूप में स्वीकार किये जाने वाले साक्ष्य, कुछ हद तक ठोस होने चाहिए, जो हालांकि निश्चितता तक नहीं पहुॅचते है, फिर भी उच्च स्तर की संभावना रखते हो। इस सिलसिले में, यह याद रखा जायेगा कि उचित संदेह से परे सबूत का मतलब संदेह की छाया से परे सबूत नही है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत इतना मजबूत है कि उसके पक्ष में केवल एक दूरस्थ संभावना ही बचती है, जिसे "निःसंदेह यह संभव है किन्तु कम से कम संभावना में नहीं" वाक्य के साथ खारिज किया जा सकता है तो मामला उचित संदेह से परे साबित हो जाता है। दूसरी ओर, यदि साक्ष्य इतने समान रूप से संतुलित हो कि किसी निष्कर्ष को एक या दूसरे तरीके से अव्यावहारिक बना दे, तो फील्ड सेवा/सक्रिय सेवा क्षेत्र में घटित मामलों में, मामला एेसा होगा जिसमें संदेह का लाभ व्यक्ति को अधिक उदारता से दिया जा सकता है।

(बी) घाव या चोट के परिणामस्वरूप होने वाली विकलांगता या मृत्यु का कारण सैन्य सेवा काे माना जायेगा यदि चोट या घाव सशस्त्र बलों के कर्तव्य के वास्तविक प्रदर्शन के दौरान लगी है। एेसी चाेंटे जो स्वयं कारित है या किसी व्यक्ति की अपनी गंभीर लापरवाही या कदाचार के कारण लगी है तो बोर्ड यह भी टिप्पणी करेगा की विकलांगता किस हद तक स्वयं को पहुॅचाई गई, लापरवाही या कदाचार के कारण हुई।

(सी) किसी बीमारी के कारण होने वाली विकलांगता या मृत्यु, सेवा के कारण हुई मानी जायेगी यदि यह स्थापित हो जाये कि बीमारी सेवा के दौरान उत्पन्न हुई थी और सशस्त्र बलो के कर्तव्य पालन की शर्तों व परिस्थितियों ने इसे निर्धारित किया था और इसमे योगदान दिया था। जिन मामलों में यह स्थापित हो गया है कि सेवा शर्तों ने

बीमारी की शुरूआत का निर्धारण या योगदान नही किया है लेकिन बीमारी के बाद के पाठयक्रम को प्रभावित किया है, उन्हें सेवा द्वारा बढा हुआ माना जायेगा। जिस बीमारी के कारण किसी व्यक्ति को सेवा से मुक्त कर दिया गया है या मृत्यु हो गई है, उसे आमतौर पर सेवा से उत्पन्न हुआ माना जायेगा यदि सशस्त्र बलों में सेवा के लिये व्यक्ति की स्वीकृति के समय इसका कोई उल्लेख नही किया गया था। हालांकि, यदि चिकित्सकीय राय, बताए जाने वाले कारणों से यह है कि सेवा के लिये स्वीकृति से पहले मेडिकल परीक्षण में बीमारी का पता नही चल सकता था, तो बीमारी को सेवा के दौरान उत्पन्न हुआ नहीं माना जायेगा।

(डी) यह प्रश्न, कि क्या विकलांगता या मृत्यु सेवा के कारण हुई है या इसे सेवा ने बढाया है या नहीं, इसके चिकित्सा पहलुआें के संबंध में निर्णय मेडिकल बाेर्ड द्वारा या मृत्यु प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। मेडिकल बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी अपनी राय के कारण निर्दिष्ट करेंगे। मेडिकल बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी की राय, जहाॅ तक यह विकलांगता या मृत्यु के वास्तविक कारण और इसकी उत्पत्ति की परिस्थितियों से संबंधित है, अंतिम मानी जायेगी। हालांकि, यह सवाल कि क्या कारण और संबंधित परिस्थितियों सेवा के लिये जिम्मेदार हो सकती है, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी।

(ई) मृत्यु प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चिकित्सा अधिकारी या किसी अमान्य के मामलें में मेडिकल बोर्ड की सहायता के लिये, सीआे यूनिट निम्नलिखित पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीः-

(i) ए.एफ.एम.एस.एफ.- 81 चोटों के अलावा अन्य सभी मामलों में

(i) आई.ए.एफ.वाई.-2006 युद्ध चोंटो के अलावा अन्य चोंटो के सभी मामलों में

(एफ) ऐसे मामलों में जहाॅ विकलांगता पेंशन देने या विकलांगता के पुनर्मुल्यांकन का संबंध है, एक मेडिकल बोर्ड हमेशा आवश्यक होता है और एकल चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र उन स्टेशनों को छोडकर स्वीकार नही किया जायेगा जहाॅ नियमित चिकित्सा बोर्ड को इकठठा करना संभव या व्यवहार्य नही है। बाद वाले मामलों में एकल चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड फार्म पर प्रस्तुत किया जायेगा और ए.डी.एम.एस.(सेना)/डी.एम.एस.(नौ सेना), डी.एम.एस. (वायु) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6. भारत संघ व अन्य बनाम बलजीत सिंह (1996(11)एससीसी 315) में इस न्यायालय द्वारा पेंशन विनियम के नियम 173 का विश्लेषण किया गया था। यह देखा गया कि जहाॅ चिकित्सा बोर्ड ने चोट/बीमारी सैन्य सेवा के कारण बनी रहने या उसके कारण होने के सबूत का अभाव पाया वहाॅ उच्च न्यायालय का सरकार को विकलांगता पेंशन के भुगतान करने का निर्देश सही नही था। इसे अन्य बातों के साथ इस प्रकार देखा गयाः

''6..... यह देखा गया है कि नियमों के तहत दिशा निर्देशों में विभिन्न मानदण्ड निर्धारित किये गये है कि बीमारी या चोट कब सैन्य सेवा के कारण होती है। यह देखा जाता है कि नियम 173 के तहत विकलांगता पेंशन की गणना तभी की जायेगी जब विकलांगता घाव, चोट या बीमारी के कारण हुई हो, जो सैन्य सेवा के कारण हो या सैन्य सेवा से पूर्व या उसके दौरान अस्तित्व में आई हो और सैन्य सेवा के दौरान गंभीर हो गई हो। यदि उक्त शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाता है तो पदधारी

विकलांगता पेंशन का हकदार है। यह पैरा 7 के खण्ड (ए) से (डी) तक पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है, जिसमे विचार किया गया है कि रोग के संबंध में उसके तहत निर्धारित नियमों को गौर से देखने की आवश्यकता है। खण्ड (ग) में उपबंधित है कि यदि किसी बीमारी को सेवा से उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह आवश्यक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की स्थिति ने बीमारी की शुरूआत में योगदान दिया या निर्धारित किया और ये स्थितियाॅ सैन्य सेवा में कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण थी। जब तक इन शर्तों को पूरा नही किया जाता है, यह नही कहा जा सकता है कि चोट का संपोषण स्वयं सैन्य सेवा के कारण होता है। चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुये यह सैन्य सेवा के कारण नही है। इस निष्कर्ष पर संतोषजनक रूप से नही पहुॅचा जा सका होगा कि हालांकि चोट सेवा के दाैरान बनी रही परन्तु यह सैन्य सेवा के कारण नही लगी थी। प्रत्येक मामले में जब एक विकलांगता पेंशन का दावा किया जाता है तो यह एक तथ्य के रूप में सकारात्मक रूप से स्थापित होना चाहिए कि क्या चोट सैन्य सेवा के कारण लगी या गंभीर हुई जिसने सैन्य सेवा के लिये अमान्य होने में योगदान दिया।

7. भारत संघ व अन्य बनाम धीरसिंह चीना, कर्नल (सेवानिवृत) (2003(2)एससीसी 382) में इस स्थिति को फिर से दोहराया गया। पैरा 7 में इसे इस प्रकार देखा गयाः

> ''7. यह विनियमन 53 पर विचार करने के लिये छोड देता है। इस विनियमन में प्रावधान है कि किसी अधिकारी को आयु के कारण या कार्यकाल पूरा होने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया जाता है, यदि वह सेवानिवृति पर सैन्य सेवा के कारण या उससे बढी हुई और सेवा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई विकलांगता से ग्रसित है

तो उसे सेवानिवृति पेंशन के अलावा, एक विकलांगता तत्व प्रदान किया जा सकता है जैसे कि वह विकलांगता के कारण सेवानिवृत किया गया हो। इसमें कोई विवाद नही है कि प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया था इसलिये जो सवाल विचार के लिये उठता है वह यह है कि क्या वह सेवानिवृति पर सैन्य सेवा द्वारा हुई या बढी हुई और सेवा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दर्ज विकलांगता से पीडित था। हम पहले ही मेडिकल बोर्ड की राय का उल्लेख कर चुके है जिसमे पाया गया कि दो अक्षमतायें जिससे प्रत्यर्थी पीडित था, सैन्य सेवा के कारण नही हुई थी, ना ही सैन्य सेवा के कारण बढी थी। चिकित्सा बोर्ड की राय ने प्रत्यर्थी के मामलें में विनियम 53 की प्रयोज्यता को खारिज कर दिया। जिन बीमारियों से वह पीडित था, वह सैन्य सेवाआेंं के कारण हाेने वाली या बढने वाली नही पाई गई और संवैधानिक बीमारियों की प्रकृति में थी। मेडिकल बोर्ड की एेसी राय होने के कारण हमारे विचार से प्रत्यर्थी को विनियम 53 का कोई लाभ नही मिल सकता है। इस कार्यवाही में मेडिकल बोर्ड की राय पर हमला नही किया गया है और इसलिये, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।"

8. उपरोक्त स्थिति को पुनः भारत संघ व अन्य बनाम केसर सिंह (2007(5)एससीआर 408) में उजागर किया गया।

9. मेडिकल बोर्ड की राय स्पष्ट रूप से इस आशय की थी कि अपीलकर्ता को जो बीमारी हुई थी, वह सैन्य सेवा के कारण नही थी और ना ही इसके कारण बढी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ का यह मानना उचित नही था कि यह सैन्य

सेवा के कारण था और/या सेवा के कारण बढ गया था। प्रतिवादी विकलांगता पेंशन का हकदार नही है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विकलांगता पेंशन के माध्यम से प्रत्यर्थी को पहले ही किया गया भुगतान, यदि कोई हो, वसूल नही किया जायेगा।

10. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

एन.जे.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती अलका बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।